



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : महादेवघाट रोड, सुंदरनगर, रायपुर (छ.ग.) 492013

Telephone : (0771) 4388816, Fax : (0771) 4388823

Email : it.ho@cgbank.in -- web : www.cgbank.in

Reference No. – CRGB/HO/IT/2022-23/01

Date :- 01.04.2022

Notice - Empanelment of IT Consultant

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank invites application for the empanelment of consultant (CISA certified) for proposed Financial Inclusion Gateway implementation. The empanelment criteria scope of the services to be offered, Terms and conditions and detailed performed etc. for submission of the application form for the purpose can be obtained and downloaded from our website – www.cgbank.in under tender section.

The last date for submission of completed application form in the prescribed format at this office is 15/04/2022

General Manager (Admin)



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : महादेवघाट रोड, सुंदरनगर, रायपुर (छ.ग.) 492013
Telephone : (0771) 4388830, Fax : (0771) 4388823
Email : generalbanking.crgb@gmail.com -- web : www.cgbank.in

Reference No. – CRGB/HO/IT/2022-23/01

Date :- 01.04.2022

NOTIFICATION

Empanelment of I.T. Consultant

Applications are invited for I.T. Consultant from eligible I.T. Professionals for Chhattisgarh Rajya Gramin Bank.

No of Vacancies	01 (One)
Essential Qualification / Eligibility	i) CISA ii) Past experience of Minimum 5 years in Banking & Fintech Industry
Remuneration	Lump sum package as agreed upon mutual discussion.
Age	As on 31.03.2022 (Upper age limit shall not exceed 65 years)
General Conditions	as per Annexure I

The interested candidates having the prescribed qualification may submit their application with detailed Bio-data and phone Number to the General Manager (ADMIN), Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Head Office, Mahadev Ghat Road, Sunder Nagar, Raipur PIN-492013 on or before 15-04-2022, 3.00 PM.

Place: Raipur

General Manager (Admin)

इच्छुक आवेदकों हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में सलाहकार सूचीकरण हेतु योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है-

- 1) State Govt/ Central Govt/ Central PSU/ SCBs/Private Company में बैंकिंग एवं बैंकिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होंगे। दिनांक 31/03/2022 को उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
- 2) आवेदक के विरुद्ध दण्ड जारी न किये गए हों, आवेदक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं आवेदक के विरुद्ध पुलिस/ सीबीआई अथवा अन्य जांच संस्था में जांच लंबित न हो।
- 3) वांछित योग्यता एवं अनुभव न्यूनतम है। व्यक्तिगत रूप से परियोजना को पूर्ण करने का अनुभव रखने वाले एवं बैंक के लिए आवश्यक कार्यों की योग्यता / अनुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 4) परियोजना निष्पादन/ दैनंदिन पर्यवेक्षण एवं समन्वय का पर्याप्त अनुभव हो।
- 5) आवेदक को कम से कम 3 वर्षों का Alternate Digital Channels से संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिये।
- 6) भूतपूर्व अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य अंशकालिक कार्य में संलग्न हैं वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- 7) गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

अन्य नियम एवं शर्तें

- 1) आवेदक को प्रारंभिक तौर पर बैंक के नवीन Financial Inclusion Gateway Project के टेंडर एवं Implementation में सलाहकार हेतु सूचीकरण किया जायेगा।
- 2) सूचीकरण को किसी भी उद्देश्य के लिये पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए ३० दिन की सूचना पर सूचीकरण निरस्त/समाप्त कर सकता है। निम्न कारणों से किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है -
 - अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते हैं या सौंपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नहीं हो या प्रायः विलंब होता हो।
 - ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है।
- 3) आवेदक को नियोजन हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र देना होगा। इसमें गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे।
- 4) सूचीकृत व्यक्ति के कार्य निष्पादन की सतत् अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी।
- 5) सूची में शामिल हो जाने मात्र से अधिकारी कार्य पाने का अधिकारी नहीं होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 6) आवेदक को निर्धारित सेवाशुल्क के अलावा वेतन, भत्ते और अन्य मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 7) नियोजित अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 8) उक्त सूचीकरण पूर्णतः अस्थायी एवं परियोजना विशेष के लिए निर्धारित है।

- 9) योग्यता/अनुभव/चयन के मापदण्ड का निर्धारण में बैंक का निर्णय सर्वमान्य एवं आवेदक पर बंधनकारी होगा ।
- 10) विवाद की स्थिति में बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
- 11) समस्त विवाद रायपुर(छग) स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधीन होंगे ।
